

मूल वाद में डिक्की
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजरव, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर0 ए0 एस0

1. निशा उम्र 13 वर्ष
2. योगेश उम्र 11 वर्ष पितारान
शुष्ण कुमार पुत्र अशीराम जाति
निष्ठा दोगे जलिये वती कुदरी माता
दावा बाबत :- मुनिता पत्नी शुष्ण कुमार
88-188 RTI
मुकदमा नम्बर :- 54/21
निर्णय दिनांक :- 28.10.21

उनवान

बनाम

1. अशीराम पुत्र मोहन लाल
2. शुष्ण कुमार पुत्र अशीराम जाति निष्ठा
3. भुमन पुत्री अशीराम
4. राजबाता पुत्री अशीराम
5. मन्जु पुत्री अशीराम
6. मारतीप स्टेट बैंक राखवा रानी की
7. राजबाता मरणा जलिये 7312

वादी की ओर से वकील जेन्दू शर्मा की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील पवन सिघा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28.10.21 को

मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि

~~राही मौजा चक्र 1 जे एल एल के खता मं 13/14 के मुं नं
न के डिता नं 9/1, 12 की कुल 0.3290 है। इसी प्रकार चक्र
4 की एचएन के खता मं 11/12 के मुं नं 54 डिता नं 20/1, 21/1, 24/1
मुं नं 45 डिता नं 16, 17, 24, 25 कुल 1.3410 है। जो प्रतिपारी
मं 1 के नाम राजस्व रिजॉर्ड में दर्ज है, में तन्हा परिवारी अशीराम की
बजाय वारीगण निशा, योगेश जलिये माता मुनिता पत्नी शुष्ण कुमार
व परिवारी मं 2 शुष्ण कुमार मंजु लप से 1/5 हिस्सा
परिवारी मं 1 अशीराम 1/5 हिस्सा, परिवारीगण उता 5
मंजु लप से 3/5 हिस्सा के खते वा अरहाता घोषित
किये जाते हैं। यदि भूमि बैंक के रदन हे गो रदन मुक होने के
बाद उपरोक्ता कुमार राजस्व रिजॉर्ड में दर्ज कर
रिजॉर्ड सुरक्ष किये जावें।~~

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्की आज दिनांक 28.10.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


शकुन्तला चौधरी

(आर0 ए0 एस0)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़